

डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

- 260 / 2025

1. कमल गिर पत्नी सुरज गीर जाति गुसाई निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री शर्मा उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया डिक्री किया जाता है तथा जाती है कि चक 8 बरानी के खाता संख्या 36/33 के मु0न0 39 की कुल 0. है0 भूमि वादीया कमला देवी पत्नी सुरजगिरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में देवी पत्नी सुरजगिरी की जगह वादीया का सही नाम कमल गिर पत्नी सुरज गिर दर्ज जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि कमला देवी पत्नी सुरजगिरी के नाम से हो तो लिए वादीया का नाम कमला देवी पत्नी सुरजगिरी ही लागू होगा। यदि कृषि भूमि रहन रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर दुरुस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से की गई।



(भागीरथ राम)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
भादरा जिला हनुमानगढ़

